



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230496
CG-DL-E-18102021-230496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3954]
No. 3954]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4303(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH75 के किमी 39.6 किमी से 49.38 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरण / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH75 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्जीक्यूशन आफिसर पलामू	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH75 के	झारखंड	पलामू	नावाबाजार	1 चेचरीया

		कि.मी. 39.6 से 49.38 तक			
--	--	----------------------------------	--	--	--

[फा. सं. NHAI/RO/RNC/JH/LA]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2021

S.O. 4303(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 39.6 to Km. 49.38 of the NH75 for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JHARKHAND.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH75 in the State of JHARKHAND.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	DISTRICT LAND ACQUISITION OFFICER PALAMU	39.6KM To 49.38KM	JHARKHAND	PALAMU	Nawa Bazar	1 Chechariya

[F. No. NHAI/RO/RNC/JH/LA]

RAJESH GUPTA, Director